

भूमि सुधार उपसमाहर्ता का न्यायालय, सरायकेला

टी० ए० मिस वाद संख्या 96A/2016-17

सोमा मुण्डा बनाम सिजानु सरदार

:: आदेश ::

दिनांक


पदाधिकारी का आदेश एवं हस्ताक्षर

अभ्युक्ति

31.07.18

अभिलेख उपस्थापित। बिक्रेता सोमा मुण्डा, पिता गुरु मुण्डा उर्फ गुरुचरण मुण्डा, ग्राम-अरुवां थाना-कुचाई, जिला-सरायकेला-खरसावाँ ने पारिवारिक खर्च हेतु क्रेता सिजानु सरदार, पिता-बुधन सरदार, ग्राम-अरुवां, थाना-कुचाई, जिला-सरायकेला-खरसावां को निम्नांकित भूमि की बिक्री करने के लिए छोटानागपुर कस्तकारी अधिनियम की धारा 46 के अंतर्गत अनुमति हेतु अनुरोध किये थे। न्यायालय द्वारा निर्गत सूचना एवं आवेदन का अंचल अधिकारी द्वारा प्रतिवेदन उपलब्ध कराया गया है, जिससे प्रतीत होता है कि बिक्री पश्चात् अवशेष भूमि काफी कम बच रही है।

अतः ऐसे स्थिति में वाद को निस्तार किया जाता है।


31/07/18
भूमि सुधार उप समाहर्ता,
सरायकेला।